तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **ढेपी बनाम लाखा वगैरह, मु. न. :–221/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख के जारी हुये
28.05.2024		

अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सरनाउ, पटवार हल्का–सरनाउ में प्रार्थीया के बाप–दादों की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 64 रकबा 2.16 है, खसरा संख्या 799 रकबा 1.25 है, खसरा संख्या 800 रकबा 0.02 है, खसरा संख्या 801 रकबा 0.02 है, खसरा संख्या 802 रकबा 5.47 है, खसरा संख्या 803 रकबा 0.02 है, खसरा संख्या 804 रकबा 3.14 है, जूमले रकबा 12.08 है, के आये हुए है। जिसमें प्रार्थीया के दादा स्व. वरींगा का 1/3 हिस्सा का हक–हकूक व कब्जा था, जिसके फौत होने पर उक्त 1/3 हिस्सों का संपूर्ण मालिकाना हक–हकूक स्वतः ही प्रार्थीया को निहित होने से उक्त आराजी प्रार्थीया की मालिकाना हक–हकूक व कब्ज काश्त की चली आ रही है, स्व वरींगा के एक पुत्र गणेशा था, जिसकी मृत्यु वरींगा के जीवनकाल में हो चुकी थी, तथा प्रार्थीया की माता रतनी थी, जिसकी भी मृत्यु वरींगा के जीवनकाल में हो चुकी थी, अब स्व वरींगा के निर्वसियती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम में निहित प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी के रूप में प्रार्थीया है, जिससे वरींगा के फौत होने पर बतौर खातेदारी प्रार्थीया की इन्द्राज करना था, परन्तु राजस्व एजेन्सी से मिलवाट कर प्रार्थीया को अपने हक–हकूकों से वंचित कर अप्रार्थी संख्या 1 लाखा को स्व वरींगा का गोदपुत्र बताकर उनका नाम अवैध व विधि विरूद्व दर्ज कर दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लाखा कभी स्व वरींगा का गोदपुत्र नहीं रहा, बावजूद इसके बिना आधार किमती भूमि हड़पने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 लाखा का नाम इन्द्राज करवा दिया गया। प्रार्थीया के माता–पिता की मृत्यु वरींगा के जीवनकाल में होने से राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से स्व वरींगा के फौत होने पर उतराधिकारी के रूप में प्रार्थीया का नाम दर्ज करना था, चुंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पुश्तैनी भूमि है, तथा कब्जा काश्त भी प्रार्थीया का चला आ रहा है वादग्रस्त आराजी में मृतक वरींगा के पुत्र गणेशा और गणेशा की प्रार्थीया जायंदा पुत्री है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लाखा सोना का पुत्र है जो सोना के फौत होने पर इनके नाम नामान्तरकरण संख्या 261 इन्द्राज किया गया, जो जमाबंदी संवत् 2037 में 2040 से स्पष्ट है। प्रार्थीया की पुश्तैनी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लाखा के नाम अवैध तरीके से इन्द्राज होने पर अप्रार्थी संख्या 1 लाखा प्रार्थीया को नुकसान पहुंचाने के लिए उक्त वादग्रस्त आराजी बेचान करने पर आमादा है, ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 1 लाखा को कोई विधिक अधिकार नहीं है, वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पुश्तैनी भूमि है, मौके पर प्रार्थीया काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मुलभूत कानूनी स्तम्भ प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 1 लाखा के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या 64 रकबा 2.16 है, खसरा संख्या 799 रकबा 1.25 है, खसरा संख्या 800 रकबा 0.02 है, खसरा संख्या 801 रकबा 0.02 है, खसरा संख्या 802 रकबा 5.47 है, खसरा संख्या 803 रकबा 0.02 है, खसरा संख्या 804 रकबा 3.14, जूमले रकबा 12.08 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लाखा के पिता वरींगा का 1/3 हिस्सा था, अप्रार्थी गोदपुत्र होने से 1/3 हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का काश्त एवं कब्जा है। प्रार्थीया वरींगा की पोत्री नहीं है न ही वरिंगा ढ़ेपी के दादा थे। अप्रार्थी संख्या 1 लाखा को वरिंगा पुत्र बाबरा ने गोद लिया था, जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 05.02.1976 उप पंजियक कार्यालय सांचौर में हुआ था, गोदनामें में अप्रार्थी संख्या 1 लाखा गोदपुत्र वरिंगा स्पष्ट लिखवाया है कि स्व वरिंगा के कोई जायंदा पुत्र व पुत्री नहीं है, इस प्रकार प्रार्थीया ढ़ेपी का निवास करवाड़ा तह–रानीवाड़ा में है, स्व वरिंगा की भूमि पर कभी प्रार्थीया का हक–हकूक, हिस्सा या कब्जा काश्त न तो था, एवं न ही है, गोदनामा वरिंगा स्वंय ने लिखाया था कि मेरे कोई जायंदा पुत्र–पुत्री नहीं है, इस प्रकार प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि हड़पने की नियत से झूठा वाद एवं प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है, तथा प्रार्थीया वरिंगा की पुत्री नहीं है। प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का संतुलन भी नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सरनाउ, पटवार हल्का–सरनाउ के खेत खसरा संख्या 64, 799, 800, 801, 802, 803, 804 जूमले रकबा 12.08 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2024.06.07 17:39:35
Reason: SelfAttested